

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

विवरण

दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		30/9/18 बनाम न।पु.नं. 15/2018	
30/9/18	क.न.अ.।	पंचायती वास्ते बंधन त.र. देह आगामी दिनांक 30/9/18 के पेश की गई।	
30/9/18	क.न.अ.।	पंचायती वास्ते बंधन त.र. देह आगामी दिनांक 25/10/18 के पेश की गई।	
25/10/18	क.न.अ.।	पंचायती वास्ते बंधन त.र. देह आगामी दिनांक 27/11/18 के पेश की गई।	
27/11/18	क.न.अ.।	बंधन त.र. सुनी गयी। पंचायती के उपलब्ध दस्तावेज में अचलौतन क्रिया गया। बंधन पर मगन क्रिया गया। मूल वाड तनसम व स्थारि निषेधाज्ञा के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/11/18 को अन्तरिक अस्थारि निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस अन्तरिक अस्थारि निषेधाज्ञा के त.र. के तहत मूल वाड कर्णम क्रिया के तहत न्यायोचित प्रतिक्रिया देना है ताकि पक्षकारों के मध्य वाड बहलता न बने। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिक अस्थारि निषेधाज्ञा दिनांक 27/11/2018 के त.र. के तहत मूल वाड कर्णम क्रिया जाता है। पंचायती के तहत सुनार बैंगर डमरु गुणर के तहत तथा मूल वाड के साथ रहे।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)